न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंण्डल ग्वालियर लिंक कोर्ट रीवा [मध्य-प्रदेश]

COURT FEE
भारत INDIA
बीस रुपये
TWENTY RUPEES

Rs-20/-

R-3359-III/14

गंगापाल तनय यज्ञनारायण पाल निवासी ग्राम-अमिलकोनी, तहसील-त्योंथर, जिला-रीवां [मध्य-प्रदेश] ...... निगरानी कर्ता

श्री बृजेन्द्र सिंह द्वारा आज दिनांक 05-9-14 प्रस्तुत किया गया।
रीडर
सर्किट कोर्ट रीवा

बनाम

[1] राकेश कुमार सिंह तनय रामनरेश सिंह सा० छदहना, तहसील-त्योंथर, जिला-रीवा [मध्य-प्रदेश]

[2] श्रीमती उर्मिला पुत्री स्व० रामनरेश सिंह पत्नी धर्मेन्द्र सिंह, निवासी-देवलवा तहसील-त्योंथर, जिला-रीवा [म.प्र.]

536
5.6.14

क्रमांक 3093
रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा आज दिनांक ______ को प्रेषित
21-9-14
रजिस्ट्रार ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

[3] श्रीमती रंजूदेवी पुत्री रामनरेश सिंह पत्नी रामेश सिंह सा. सतपुरा, तह०-त्योंथर, जिला-रीवाम.प्र.

[4] श्रीमती गीता पुत्री रामनरेश सिंह पत्नी संदीप सिंह पटेल, निवासी-चितवरिया, तहसील-रिहावल, जिला-सीधी म.प्र.

[5] कुमारी प्रभा सिंह पुत्री स्व. रामनरेश सिंह निवासी छदहना, तह. -त्योंथर, जिला-रीवा म.प्र.

[6] कुमारी दीपा सिंह पुत्री स्व. रामनरेश सिंह निवासी ग्राम-छदहना, तह०-त्योंथर जिला-रीवाम.प्र. .... गैरनिगरानीकर्ता

निगरानी विरुद्ध आदेश न्यायालय अपर आयुक्त महोदय रीवा सम्भाग रीवा म.प्र.प्रकरण क्रमांक-525/अपील/04-05 आदेश दिनांक-12.08.2014

====================================

निगरानी अन्तर्गत धारा-50 म०प्र०भू०राजस्व संहिता सन 1959ई०

====================================

गंगाप्रसाद पाल

क्रमश: पेज नम्बर-2 पर

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक R-3359–तीन/2014 **जिला** रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश गंगापाल/राजेश कुमार	पक्षकारों अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
1–12–2015	प्रकरण में आवेदक अधिवक्ता श्री बृजेन्द्र सिंह उपस्थित । आवेदक अधिवक्ता को प्रकरण में ग्राह्यता पर सुना गया । आवेदक अभिभाषक द्वारा अपने तर्को में मुख्य रूप से वही तर्क प्रस्तुत किए गये जो निगरानी मेमों में अंकित है जिन्हें यहां पुनः लिखने की आवश्यकता नहीं है । किन्तु निगरानी मेमों में अंकित तथ्यों पर विचार किया जा रहा है । निगरानी ग्राह्य करने का निवेदन किया गया । निगरानी मेमों में अंकित तथ्यों के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक–12.08.2014 की प्रमाणित प्रति का अवलोकन किया तथा निगरानी मेमों में अंकित तथ्यों तथा अधिवक्ता के तर्को पर विचार किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के अवलोकन से पाया गया कि प्रकरण में मुख्य विवाद नक्शा तरमीम से संबंधित है जिसमें तहसीलदार द्वारा पूर्व में किए गये नक्शा तरमीम को सुधार कर बिना पक्षकारों एवं सरहदी कृषकों को सूचना दिए एवं सुनवाई का अवसर दिए नक्शा तरमीम करने का आदेश दिया गया है । उक्त विवाद के संबध में इस निगरानी में आक्षेपित अपर आयुक्त रीवा के प्रकरण कमांक–525/अपील/04–05 में पारित आदेश दिनांक–12.8.14 का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपर आयुक्त द्वारा अधीनस्थ दोनों न्यायालयों के आदेश निरस्त करते हुए प्रकरण तहसीलदार को उभय पक्षों कों पक्ष समर्थन का अवसर प्रदान करते हुए मौके एवं अभिलेख की स्थिति के अनुसार नियमानुसार नक्शा तरमीम करने की कार्यवाही करने हेतु प्रत्यावर्तित किया गया है । भू–राजस्व संहिता की धारा 49 में दिसम्बर 2011 में यह स्पष्ट रूप से संशोधित कर प्रावधानित किया गया है कि अपीलीय अधिकारी अपील प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को कार्यवाही हेतु प्रकरण को प्रतिप्रेषित नहीं करेगा । वह प्रकरण में स्वयं अंतिम निर्णय लेगा । ऐसी स्थिति में संहिता की धारा 49 में निहित प्रावधान के अनुसारण में अपर आयुक्त का आदेश स्थिर रखें जाने योग्य नहीं है । अतः अपर आयुक्त का आदेश दिनांक–12.814 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि वे प्रकरण में विधिवत संहिता में निहित प्रावधानों के अनुसरण में पक्षकारों को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए, विधानिक निर्णय पारित करें । पक्षकार सूचित हो । आदेश की प्रति अधीनस्थ न्याया. को भेजी जावे । प्र.दा.रि.हो । सदस्य 1/12/15	